संख्या-7/15/23/2006(2)-का-4-2014

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 11 जून, 2014

विषय:-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों के वेतन/विशेष भत्ता पुनरीक्षित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आयोग के पत्र संख्या-1008/31-अधि/1986-87, दिनांक 31.10.2013, पत्र संख्या-1032/31-अधि/1986-87, दिनांक 13.11.2013, पत्र संख्या-87/41/विविध/2013-14, दिनांक 31.1.2014 एवं पत्र संख्या-86(4)/विविध/2013-14, दिनांक 31.1.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नवत्, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के सहायक समीक्षा अधिकारियों के वेतन/ग्रेड पे/विशेष भत्ता के पुनरीक्षण, सहायक लेखाकारों के पदनाम परिवर्तन एवं वेतन/ग्रेड पे/विशेष भत्ता के पुनरीक्षण, चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के विशेष भत्ता के पुनरीक्षण एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को शासकीय हित में मोबाइल फोन का प्रयोग किये जाने पर एक सुनिश्चित धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने की राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के सहायक समीक्षा अधिकारियों को प्रदान किये जा रहे विशेष भत्ता रूपये-850.00 में से रूपये-400.00 को ग्रेड वेतन में परिवर्तित करते हुए, उक्त पद धारकों को दिनांक 6.9.2013 से वेतन बैण्ड-2, रूपये-9300-34800 ग्रेड पे रूपये-4600.00 एवं विशेष भत्ता रूपये-450.00 अनुमन्य होगा।

(2) लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के सहायक लेखाकारों का पदनाम तात्कालिक प्रभाव से सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) करते हुए, उन्हें अनुमन्य विशेष भत्ता रूपये-850.00 में से रूपये-400.00 को ग्रेड वेतन में परिवर्तित करते हुए, उक्त पद धारकों दिनांक 6.9.2013 से वेतन बैण्ड-2, रूपये-9300-34800 ग्रेड पे रूपये-4600.00 एवं विशेष भत्ता रूपये-450.00 अनुमन्य होगा।

(3) लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को विशेष भत्ता रूपये-500.00 को पुनरीक्षित करते हुए दिनांक 10.9.2013 से उक्त पद धारकों को रूपये-625.00 प्रतिमाह अनुमन्य होगा।

(4) लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को मोबाइल फोन का शासकीय कार्यहित में प्रयोग किये जाने पर तात्कालिक प्रभाव से अधिकतम रूपये-125.00 प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति निम्न शर्तों के अन्तर्गत अनुमन्य होगी:-

http://srasonadesh.up.nic.in

(i) चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को उक्त प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए इस आशय का प्रमाण पत्र प्रत्येक माह आयोग को प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा निजी मबाइल का उपयोग शासकीय कार्यहित में किया जाता है।

(ii) संबंधित चतुर्थ श्रेणी कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र में अपने निजी मोबाइल पर संगत माह में व्यय की गयी धनराशि का स्पष्ट उल्लेख किया जयेगा।

(iii) संबंधित चतुर्थ श्रेणी कार्मिक को उसके द्वारा संबंधित माह में व्यय की गयी धनराशि अथवा रूपये-125.00 मासिक, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2. उक्त पदों पर वेतनमान एवं ग्रेड वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे.आ.-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनांक 24.12.2009 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

3. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे.आ.-2-619(ए)/दस/2014, दिनांक 06 जून, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-15/23/2006(3)-का-4-2014, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण व्यूरो वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।

आज्ञा से,

(मदन मोहन पाण्डे)
विशेष सचिव

http://finanadesh.up.nic.in